



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 17/ABDM-01-6/24/73(17)

दिनांक - 17-Oct-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100100193000781 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 93 - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ 00-NA 07 - अन्य व्यय State Scheme State Scheme : IT ENABLED SERVICES(1924) Central Scheme : NA	67840	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI 81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	250,000,000.00 रुपये पच्चीस करोड
2	S 20 22100179693000781 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 93 - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ 00-NA 07 - अन्य व्यय State Scheme State Scheme : IT ENABLED SERVICES(1924) Central Scheme : NA	67839	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI 81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	250,000,000.00 रुपये पच्चीस करोड

योग: रुपये पचास करोड

500,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

तृतीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

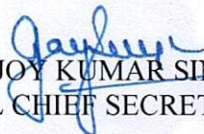
माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 93 - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 001 - निदेशन और प्रशासन & 93 - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100100193000781	20S22100179693000781	Total
					सूचना संचार एवं संचरण सेवाएँ	सूचना संचार एवं संचरण सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doranda	DRNMED124	Dr.Siddhartha Sanyal	Di.In.Chief H.Dirt.Jhar.Ranchi	₹25,00,00,000.00 (67840)	₹25,00,00,000.00 (67839)	₹50,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹50,00,00,000.00 (पचास करोड) रूपये मात्र ।**टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए**


 (AJAY KUMAR SINGH)
 ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 14.10.2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखण्ड राज्य में अगले 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू करने हेतु स्वीकृत कुल योजना राशि 2,99,30,00,000/- (दो सौ निम्नानबे करोड़ तीस लाख) रुपये के विरुद्ध राशि कुल 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-18(17) दिनांक-14.05.2025 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-68(17) दिनांक-01.09.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखण्ड राज्य में अगले 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू करने के लिए कुल 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपये मात्र की राशि निम्नानुसार आवंटित की जाती है :-

क्र०	योजना की विवरणी	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन राशि
1	"मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू करने हेतु	2,99,30,00,000	00	50,00,00,000

2. स्वीकृत्यादेश संख्या-68(17) दिनांक-01.09.2025 की सभी शर्तें यथावत रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राशि का व्यय किया जाएगा।

(किरण शर्मा)
अवर सचिव

(विद्यानन्द शर्मा पंजज)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि का हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता में करेंगे। प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची राशि को सभी संबंधित को उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्यों के अनुसार राशि का भुगतान/हस्तांतरण करेंगे। भुगतान करने से पूर्व राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड-सह-परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लेंगे।

4. राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से की जाएगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची, होंगे।

6. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजटशीर्षों के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा:-

क्र०	बजटशीर्ष	आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-001-निदेशन और प्रशासन-93-सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ-07-अन्य व्यय-81-सूचना संचार, एवं संचरण सेवाएँ (विपत्र कोड-20एस 2210-01-001-93-00-07-81)	25,00,00,000
2	मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-93-सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ-07-अन्य व्यय-81-सूचना संचार, एवं संचरण सेवाएँ (विपत्र कोड-20एस 2210-01-796-93-00-07-81)	25,00,00,000
कुल योग		50,00,00,000

7. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत एक पी०एल० अकाउण्ट खोल कर इस योजना के कार्य हेतु राशि का आवंटन किया जाएगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-1800 दिनांक-15.07.03 एवं समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा। इसका पूरा दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

8. इस योजना का प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

73(14)
14/10/25

ज्ञापांक:-

73(17)

राँची, दिनांक: 14.10.2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड-सह-परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, झारखण्ड, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(किरण मोरंगा)
अवर सचिव

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

73(17)
14/10/25

BORDER
25/10/25